जिन्ना विवाद : अल्पसंख्यक आयोग ने एएमयू से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के विरोध में बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ छात्रों के घायल होने की घटना को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एएमयू के कुलपति और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है।

एएमयू के पूर्व छात्र नेताओं के संगठन एएमयू स्टूडेंट लीडर्स फोरम की शिकायत के बाद आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति और जिलाधिकारी को आज नोटिस जारी किया।

आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने बताया, हमारे पास कल की घटना को लेकर शिकायत की गई है। इस पर हमने एएमयू के कुलपति (तारिक मंसूर) और अलीगढ़ के जिलाधिकारी (चन्द्रभूषण सिह) को नोटिस जारी किया है। हमने तीन दिन के भीतर पूरी घटना पर रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। आयोग को शिकायत से जुड़ा ज्ञापन सौंपने वाले एएमयू स्टूडेंट लीडर्स फोरम के अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज ने कहा, एएमयू देश का प्रतिष्ठित संस्थान है और देश में इसका बहुत योगदान है। इस संस्थान को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने आयोग से आग्रह किया है कि वह कल की घटना का संज्ञान ले और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराए।

दरअसल, जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग को लेकर कल हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय पहुंच कर नारेबाजी की थी। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे एएमयू के छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के बलप्रयोग में कम से कम छह छात्र घायल हो गए। एएमयू के छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने पिछले दिनों एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर को पत्र लिखकर संस्थान में जिन्ना की तस्वीर होने को लेकर सवाल किया था।

अलीगढ़ मुसलिम विवि में तनाव मगर शांति

अलीगढ़, 3 मई (भाषा)।

मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर मचे बवाल के गुबार और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में तनावपूर्ण शांति व्याप्त है। एएमयू के सूत्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनियन हॉल में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता माने जाने वाले जिन्ना की तस्वीर लगी होने के विरोध में परिसर में अंदर घुसकर अराजकता फैलाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय के छात्रों पर ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरुद्ध गुरुवार को बाबा-ए-सैयद गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पूरे परिसर में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है।

इससे परिसर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। एएमयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार परिसर में की गई हिंसा, वहां गेस्ट हाउस में ठहरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमले की साजिश का हिस्सा थी। एक अभूतपूर्व घटना में वाहिनी के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस तक पहुंच गए थे। यह एक पूर्वनियोजित हमला था।

छात्र संघ ने यहां जारी एक बयान में कहा कि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे एएमयू के छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने तक उसका धरना जारी रहेगा।

लाठीचार्ज में घायल हुए छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एएमयू के छात्र देश के सभी धर्मनिरपेक्ष संगठनों की मदद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाएंगे।

भागलपुर में सड़क हादसे में चार की मौत

भागलपुर, 3 मई (जनसत्ता)।

बुधवार देर रात भागलपुर जनपद में पांच लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की बांका के थाना बाराहाट के तहत सड़क हादसे में मौत हुई और चार जख्मी हुए। वहीं नवगछिया में कारखाने के मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने तीन गोलियां दाग कर जान ले ली।

भागलपुर शहर के भीखनपुर मोहल्ले में एक नौजवान को गोली मार जख्मी कर दिया। गोली उसके जबड़े में लगी है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। सिटी डीएसपी शहरयार अख्तर ने बताया कि घायल का इलाज जेएनएल मेडिकल कालेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने उसके बयान पर दो आरोपियों राजा चौधरी और आनंद यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। सड़क हादसा मधुसूदनपुर गांव के नजदीक हुआ। रामजी चौधरी की बेटी की शादी की खरीददारी कर ये लोग भागलपुर से रात आठ बजे के करीब ऑटो से लौट रहे थे इस दौरान कि एक ट्रक की चपेट में आ गए। दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य को जवाहरलाल नेहरू भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों में संगीता देवी, खुशी कुमारी, अमन कुमार व मंटू साह शामिल थे। घायलों का इलाज चल रहा है। डाक्टरों ने इन्हें खतरे से बाहर बताया है। घटना से गुस्साए लोगों ने भागलपुर-दुमका सड़क को बाधित कर दिया।

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
dhampur 241, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-III, नई दिल्ली- 110020
पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, -246761, यु.पी
CIN: L15249UP1933PLC000511, फोनः 91-11-30659400, फैक्सः 91-11-26935697
ई-मेलः investordesk@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसरण में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में कंपनी के इक्विटी शेयरों/अप्रदत्त लाभांश का अंतरण

विषय शीर्षक के संदर्भ मे और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा सात वर्षों की समाप्ति के बाद सभी अप्रदत्त या अदावाकृत लाभांश केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करना अनिवार्य है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 7 सितम्बर, 2016 से अधिनियम एवं नियम नामतः "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016" की धारा 124 (6) अधिसूचित की है। कथित धारा एवं नियम में अन्य मामलों के अलावा, इस बात का प्रावधान शामिल किया गया है कि कंपनी को ऐसे सभी शेयरों को आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित करना अनिवार्य है जिनके लिए पिछले निरंतर सात वर्षों से शेयरधारकों द्वारा कोई भुगतान नहीं लिया गया है या दावा नहीं किया गया है। ऐसे शेयरों के अंतरण के बाद, ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी कॉर्पोरेट लाभ भी आईईपीएफ उचन्त खाता/आईईपीएफ को अंतरित हो जायेंगे और जैसा भी मामला हो ऐसे शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकार सही स्वामी द्वारा ऐसे शेयरों का दावा नहीं करने तक समाप्त रहेंगे।

वर्तमान में कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2009-11 से वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतरित) तक के लिए अदावाकृत या अप्रदत्त लाभांश बैंक द्वारा रखरखाव किये गये संबंधित वर्षों के अप्रदत्त लाभांश खातों में पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2009-11 के लिए अदावाकृत लाभांश 30.08.2018 को अंतरण के लिए देय है। अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश खाते से संबंधित पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट https://dhampur.com पर उपलब्ध है।

कंपनी के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं भेजी गई हैं जिनका निरंतर सात वर्षों से लाभांश अप्रदत्त/अदावाकृत है और साथ में उनसे 31.07.2018 तक या उससे पूर्व पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, पते के प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रति, निरस्त बैंक चेक की प्रति और ई-मेल आईडी एवं सम्पर्क नं. (यदि कोई हो) के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित औपचारित पत्र भेजकर उपरोक्त लाभांश का दावा करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि कंपनी द्वारा आईईपीएफ को ऐसे अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश या सनत शेयरों का अंतरण टाला जा सकें।

उसके बाद कंपनी निम्नलिखित के अंतरण की प्रक्रिया/कार्यवाही प्रारंभ कर देगीः

- केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में सात वर्षों की समाप्ति के बाद अप्रदत्त या अदावाकृत लाभांश; और
- इक्विटी शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात या अधिक वर्षों से शेयरधारको द्वारा कोई भुगतान नहीं लिया है या दावा नहीं किया है, का आगे कोई सूचना दिये बिना नियमों में विनिर्देशित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियत तिथि तक आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरण।

नाम, फोलियो नं. एवं डीपी आईडी - क्लाइंट आईडी सहित संबंधित शेयरधारकों का विवरण एवं आईईपीएफ को अंतरण के लिए देय शेयरों की संख्या कंपनी की वेबसाइट https://dhampur.com पर उपलब्ध है।

कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित की गई अदावाकृत लाभांश राशि और/या इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य है तो नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे शेयरों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे। ऐसे डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आपके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र निरस्त एवं गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश राशि एवं आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित शेयरों के संबंध में दावा उपरोक्त वर्णित आईईपीएफ नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र/दस्तावेज कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf.gov.in के साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com पर भी उपलब्ध हैं।

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
स्थानः नई दिल्ली — हस्ता/-
दिनांकः 03.05.2018 — कंपनी सचिव

VLS FINANCE LTD.
Regd. off. : 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065
CIN: L65910DL1986PLC023129
Ph. No.:011-46656666, Fax: 011-46656699
Email: vls@vsnl.com, website: www.vlsfinance.com

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 17th May, 2018, inter-alia to consider the Audited Financial Results for the financial year ended on 31st March, 2018.

for VLS Finance Ltd.
H. Consul
Company Secretary
M.No. - A11183
Place: New Delhi
Date: 3.5.2018

कावेरी प्रबंधन योजना पर केंद्र को हलफनामा देने का निर्देश

नई दिल्ली, 3 मई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल बंटवारे पर शीर्ष अदालत के निर्णय पर अमल के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कावेरी प्रबंधन योजना तैयार नहीं करने को गुरुवार को गंभीरता से लिया। अदालत ने इस योजना को तैयार करने की दिशा में अभी तक उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र को आठ मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ के पीठ के समक्ष तमिलनाडु ने केंद्र के पक्षपातपूर्ण रवैए के लिए उसकी आलोचना की और कहा कि यह संघीय सहभागिता का अंत है। न्यायालय ने अपने फैसले में कर्नाटक से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी को सहजता से जलापूर्ति के लिए यह योजना बनाने का निर्देश दिया था।

पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि वेणुगोपाल जी, केंद्र को इस योजना को अंतिम रूप देना होगा और इसे अब तक अंतिम रूप दिया जा चुका होता। इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। अटार्नी जनरल ने इस योजना के तहत कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने संबंधी मामले की सुनवाई कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक दस दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि योजना के मसविदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए, लेकिन चुनाव प्रचार की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिले पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें चारों राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों को इस प्रबंधन बोर्ड का सदस्य बनाने पर जोर दिया गया है। कहा कि इस मुद्दे को भी सुलझाने की आवश्यकता है।

इस बीच, न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी और कहा कि वह जल आपूर्ति के बारे में अपनी गंभीरता साबित करे। न्यायालय ने कहा कि वह स्वतः ही अवमानना का संज्ञान लेकर राज्य के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश देगा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई आठ मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तमिलनाडु को भरोसा दिलाया कि उसके फैसले के अनुरूप ही कावेरी से जल छोड़ा जाएगा।

Amrit Corp. Ltd.
CIN: L15141UP1940PLC000946
Regd. Office: CM-28, Ist Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201009 (U.P.)
Corp. Office: Amrit Corporate Centre, A-95, Sector-65, NOIDA-201309 (U.P.)
Telephone No.: 0120-4506900, Fax No.: 0120-4506910
E-mail: info@amritcorp.com, Website: www.amritcorp.com

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)

Notice is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio No.(s)	Name of the Shareholder(s)	Share Certificate No.	Distinctive No.(s) From	Distinctive No.(s) To	No. of Shares
S003092	Shyam Sunder Goel	12861	1839476	1839523	48
S000457	Sudha Rani Sonthalia	12570	1827460	1827709	250

The Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate(s). Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will not be responsible for any loss and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Amrit Corp. Limited
Sd/-
(P. K. Das)
Company Secretary & Compliance Officer
Ghaziabad (UP)
May 03, 2018

पूर्वोत्तर रेलवे खुली ई-निविदा सूचना सं. : NER-LJN-RPF-2018-5 Dated : 02.05.2018

भारत के राष्ट्रपति की ओर से लखनऊ मंडल में ससुआ गोण्डा तथा प्रभारी निरीक्षक रेसुब लखनऊ सिटी के प्रशासनिक प्रयोग के लिए एक-एक अदद कुल दो अदद चारपहिया वाहन 06+01 सीट वाली इनोवा, स्कारपियो, अरटिगा अथवा समकक्ष वाहन ईंधन, रोड टैक्स, जीएसटी, बीमा एवं कामर्शियल रजिस्ट्रेशन अन्य सभी खर्च के साथ ड्राईवर, 24 घंटे प्रति दिन दो पाली डियूटी प्रति माह 2000 किमी तक प्रयोग हेतु 24 माह के लिए प्राईवेट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराने के लिए आनलाईन 'खुली' ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जिसका विवरण नीचे निम्नवत है :-

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम धन (रु.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	समापन अवधि
क्रम सं. : 1, लखनऊ मण्डल में ससुआ गोण्डा तथा प्रभारी निरीक्षक रेसुब लखनऊ सिटी के प्रशासनिक प्रयोग के लिए एक-एक अदद कुल दो अदद चारपहिया वाहन 06+01 सीट वाली इनोवा, स्कारपियो, अरटिगा अथवा समकक्ष वाहन ईंधन, रोड टैक्स, जीएसटी, बीमा एवं कामर्शियल रजिस्ट्रेशन अन्य सभी खर्च के साथ ड्राईवर, 24 घण्टे प्रति दिन दो पाली डियूटी प्रति माह 2000 किमी तक प्रयोग हेतु 24 माह के लिए उपलब्ध कराने के हेतु।	15,62,160.00	35,500.00	2,500.00	24 माह
क्रम सं. : 2, अतिरिक्त चार्ज प्रति माह 2000 किमी से अधिक 8 रु. प्रति किमी x 500 किमी प्रतिमाह x 24 माह x 2 वाहन = 24000 किमी	1,92,000.00			
क्रम सं. : 3, रात्रि चार्ज प्रति माह 4 रात्रि प्रति माह x 24 माह x 2 वाहन = 192 रात्रि	20,544.00			
कुल योग	17,74,704.00	35,500.00	2,500.00	24 माह

1. क्रम सं. 1 के लिए ई-निविदा दिनांक 07.06.2018 को 15.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है तथा उसी दिन समय 15.00 बजे के बाद ई-निविदाएँ खोली जाएँगी। 2. उपरोक्त ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना, निम्नतम अर्हता, नियम एवं शर्तों का पूर्ण विवरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

मुजाधि/विविध-08 — मण्डल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो.-09794845955 पर SMS करें

वाहन में तेज म्यूजिक बजाकर मानवरहित समपार पार न करें

POLYMED Medical Devices
पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 232-बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
सीआईएनः L40300DL1995PLC066923
फोनः 011-33550700, फैक्सः 011-26321894
ई-मेलः investorcare@polymedicure.com
वेबसाइटः www.polymedicure.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 10 मई, 2018 को अन्य बातों के साथ आयोजित की जाएगी

- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (कंसोलिडेटेड व स्टैंडअलोन) पर विचार और अनुमोदन हेतु।
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर पर लाभांश की सिफारिश, यदि कोई हो, पर विचार करना।
- किसी भी अन्य मामले को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उपयुक्त समझ सकता है।

कृते पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली — अविनाश चंद्रा
दिनांकः 03.05.2018 — कंपनी सचिव

प्ररूप संख्या आईएनसी-२६
[कंपनी (निगमन) नियम २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दुसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३ (४) और कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के उपनियम (झ) छ के खंड (क) छ के मामले में
और
आईटीच मूव्हमेंट जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय - शॉप नं./ऑफिस क्र. ३०९, इन पर्ल्स कॉर्पोरेट/W-मॉल, रोहिणी, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली - ११००८५ स्थित है के मामले में ..... याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटीस दी जाती है की, यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'नई दिल्ली राज्य' से 'महाराष्ट्र राज्य' मे स्थानांतरित करने के लिए तारीख मंगलवार, २ जनवरी, २०१८ को आयोजित असाधारण अधिवेशन मे पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टी की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ती का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ती या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से १४ दिनों के भीतर बी-२ विंग, २री मंजिल, पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - ११०००३ पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रती आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :-
शॉप नं./ऑफिस क्र. ३०९, इन पर्ल्स कॉर्पोरेट/W-मॉल, रोहिणी, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली - ११००८५

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
स्वाक्षरी/-
सौम्या जैन
निदेशक
डीआयएन : ०६९८२६४८
दिनांक : ०३.०५.२०१८
स्थान : नई दिल्ली

सूचना - ऊपर दी गई सूचना मूल इंग्लिश सूचना का हिंदी भाषांतर है। संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए एवं कायदेशीर कारवाई के लिए मूल इंग्लिश सूचना ग्राह्य की जाए।

मानहानि मामला : अदालत ने राहुल गांधी से 12 जून को पेश होने को कहा

ठाणे (महाराष्ट्र), 3 मई (भाषा)।

भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी की ओर से दर्ज कराए मानहानि के मामले में 12 जून को अदालत के समक्ष पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने 'संक्षिप्त सुनवाई' की बजाय साक्ष्य की एक विस्तृत रिकॉर्डिंग के लिए बुधवार को गांधी के आवेदन पर सुनवाई की और मामले को 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि 12 जून को वह आवेदन पर फैसला सुनाएगी और बचाव पक्ष को भी सुनेगी और अदालत ने उन्हें उस दिन अदालत में मौजूद रहने को भी कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता का भाषण सुनने के बाद छह मार्च 2014 को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी। कुंते ने दावा किया है कि उनके बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा, 'संक्षिप्त सुनवाई छोटी होती है और लिखित तर्क जमा कराने के बाद ही समाप्त हो जाती है। हमने समन सुनवाई की मांग की है जिससे साक्ष्यों की एक विस्तृत रिकॉर्डिंग की जा सके।' उन्होंने कहा, 'मामला ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा है और इसलिए हमें कई दस्तावेजों पर निर्भर रहने की जरूरत है और हम इस पर विशेषज्ञों के साक्ष्य भी रिकॉर्ड कराना चाहेंगे।' राहुल गांधी मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें संगठन की निंदा नहीं करनी चाहिए थी और अगर वह खेद प्रकट नहीं करते तो सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
शैल विहार, निकट भारत भूमि टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स, हरिद्वार बाईपास रोड, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : 520/निविदा/10 — दिनांक : 28.04.2018

ई-टेण्डर

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की ओर से निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से जनपद हरिद्वार में निम्नांकित योजनाओं हेतु ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। जिनकी की डेट्स एवं अन्य विस्तृत विवरण अधिकारिक वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर दिनांक 05.05.2018 से देखा जा सकता है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य रू0	धरोहर धनराशि रू0	ठेकेदार का वर्गीकरण
1	ब्लॉक हेडक्वाटर रूड़की में सद्भाव मण्डप का निर्माण कार्य।	2500.00 + जी0एस0टी0	70000.00	'डी' एवं उच्चतर श्रेणी
2	ब्लॉक हेडक्वाटर बहादराबाद में सद्भाव मण्डप का निर्माण कार्य।	तदैव	70000.00	तदैव
3	ब्लॉक हेडक्वाटर नारसन में सद्भाव मण्डप का निर्माण कार्य।	तदैव	70000.00	तदैव
4	ब्लॉक हेडक्वाटर लक्सर में सद्भाव मण्डप का निर्माण कार्य।	तदैव	70000.00	तदैव
5	ग्राम टांडा भनेड़ा ब्लॉक नारसन में प्रा0 वि0 भवन का निर्माण कार्य।	4000.00 + जी0एस0टी0	110000.00	'सी' एवं उच्चतर श्रेणी
6	ग्राम पीरपुरा ब्लॉक नारसन में प्रा0 वि0 भवन का निर्माण कार्य।	तदैव	110000.00	तदैव

परियोजना प्रबन्धक

"जल संचय - जीवन संचय" "जल स्रोत बताइये-पेयजल योजना पाइये"
"कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये" "जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है"

Reliance Industrial Infrastructure Limited
पंजीकृत कार्यालयः एनकेएम इंटरनैशनल हाउस, ५ वीं मंजिल, १७८ बैकबे रिक्लेमेशन, एलआईसी योगक्षेम बिल्डिंग के पीछे, बाबूभाई चेनॉय रोड, मुंबई - ४०० ०२०
फोनः ०२२-४४७७ ९०५३ • फैक्सः ०२२-४४७७ ९०५२ • ई-मेलः investor_relations@ril.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

विषयः कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों ("नियम") के अनुसार प्रकाशित की जा रही है.

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है.

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी वित्त वर्ष २०१७-१८ के दौरान, ऐसे सभी शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर चुकी है, जिनके लाभांश का, ३१ अक्टूबर, २०१७ की अंतिम तिथि को लगातार सात या अधिक वर्षों तक या तो भुगतान नहीं हुआ, या उन पर कोई दावा नहीं किया गया. कंपनी ने अब व्यक्तिगत रूप से उन सभी संबंधित शेयरधारकों से उचित कार्रवाई के लिये संपर्क किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०१८-१९ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं.

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.ril.com पर अपलोड कर दी है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेब लिंक http://www.ril.in/transfer_suspense_accountiepf.html देखें.

शेयरधारक ध्यान दे कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं.

संबंधित शेयरधारक, काग़ज़ी रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर-परक्राम्य मान लिए जाएंगे. शेयरधारक आगे ध्यान दे कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया विवरण इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाना चाहिए.

संबंधित शेयरधारकों से जुलाई ३१, २०१८ तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने के परिस्थिती में, कम्पनी, नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करने के दृष्टिकोण से, आईईपीएफ प्रा